SJIF Impact - 5.675

AKSHARA

MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL

Peer-Reviewed & Refereed International Research Journal
September 2023 *Special Issue 09 Volume V*

INDIAN HISTORY AND CONTEMPORARY PERSPECTIVES

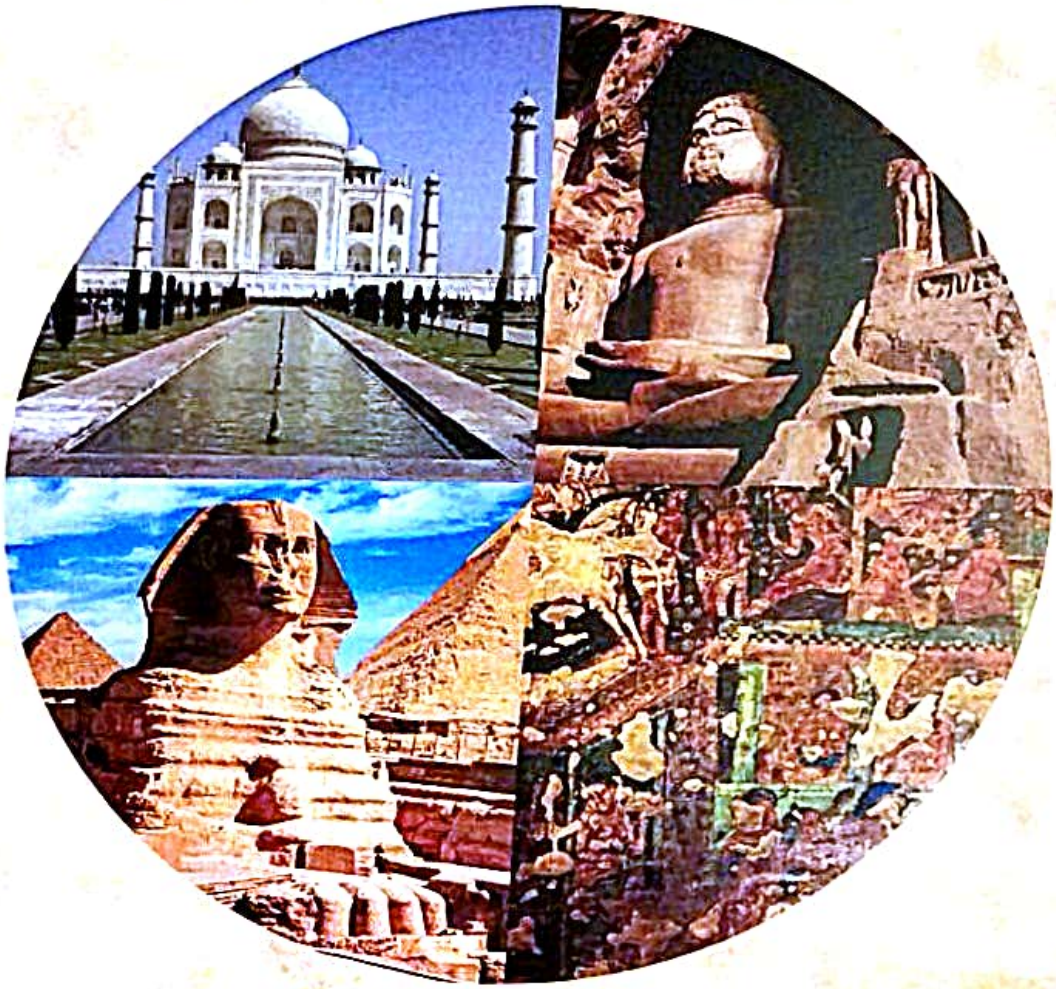

Guest Editor

Dr. Yogesh Chandra
Asst. Professor (Sociology)
Govt. P. G. College Ramnagar,
Nainital Uttarakhand

Dr. Pankaj Singh
Asst. Professor (History)
Dr Harisingh Gour Central University,
Sagar, Madhya Pradesh

Dr. M. C. Arya
Assistant Professor, History
Govt. Degree College, Sitarganj
Udham Singh Nagar Uttarakhand

Chief Editor
Dr. Girish S. Koli

AMRJ

Akshara Multidisciplinary Research Journal

Single Blind Peer Reviewed & Refereed International Research Journal

E- ISSN 2582-5429 / SJIF Impact- 5.67 / September2023 / Special Issue 09 / Vol. V

Index

Sr.No	Title of the Paper	Author's Name	Pg.No
1.	The Himalayan Range and Climate Change	A. Bhattacharya, IAS(Retd.) Dr. Ranjana Bhattacharya	07
2.	Kalingaan Style Temple Architecture: A Study Of The Temple Of Lord Jagannath At Puri	Capt. Deepak Kumar Naayak Dr. Chanchala Jena	14
3.	Awareness of Plant Parasitic Nematodes, and preferred Sugarcane varieties, among smallholder farmers in Meerut region.	Dr. Resha	19
4.	Art and Architecture of the Verateshwar Temple of Shahdol District: Madhya Pradesh	Dr Heera Singh Gond	24
5.	The Role of Skill Development Courses in Fostering Self-Employment Opportunities	Dr. Harish Chandra Joshi	26
6.	Measures, Challenges, and Impact of Digital Economy in India: Transitioning from Cash to Cashless	Manish Kandpal	33
7.	Unveiling the Social Dynamics in English Literature: Exploring Power, Identity, and Representation	Dr. Nishant Bhatt Dr. Arvind Verma	37
8.	Polity and State Formation in the Peninsular Region	Dr. Ranjana Bhattacharya	42
9.	Gandhi and Mandela Contemporary Perspective of Satyagraha, Non-Violence and Constitutional Democracy	Prof. Suresh Kumar Dr. Rajkumar Ms. Poonam Yadav	48
10.	The role of Musalmans (Muslims) of Unnao, Farrukhabad and East Jaunpur in the Indian freedom struggle of 1857	Dr. Ranjana Dwivedi	53
11.	A New Perspective To Look At Partition	Bhavuk	56
12.	Military organization under mughals Period	Paramjeet Singh Dr. S.N. singh	61
13.	Colonial Representation and Impact on Tribes of India: Legacy of Identity and Existential Conflicts.	Shivangi Dwivedi	65
14.	गाँधीवादी विचारधारा को समर्पित व्यक्तित्व : सुश्री राधा बहन	डॉ. अवनीन्द्र कुमार जोशी डॉ. हेमलता	71
15.	खैरागढ़ क्षेत्र से अप्रतिम नारीरूप: रानी पद्मावती	डॉ. अनामिका शर्मा	74
16.	प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के मुख्य स्त्रोत	डॉ. अनुभूति सेंडीमन	81
17.	औपनिवेशिक काल में भारतीय जनजीवन के विविध आयाम	अनिल शाह	85
18.	महिला सशक्तिकरण मे संवैधानिक अधिनियमो की भूमिका : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण	डॉ. रेनू प्रकाश शैलजा	88
19.	मानवाधिकार एव सामाजिक सुरक्षा	डॉ.रश्मि जहाँ	92
20.	अंग्रेजो की सफलता : कुछ दुर्बलताएं कुछ संयोग	डॉ. कुसुम राव	96
21.	आर्थिक विकास के परिप्रेक्ष्य मे महिलाओ का योगदान	डॉ. नीति चौहान	99
22.	कालू सिंह महरा : 1857 के अख्यात स्वतत्रता सेनानी	डॉ. सुरेश टम्टा	102

AMRJ
Akshara Multidisciplinary Research Journal
Single Blind Peer Reviewed & Refereed International Research Journal
E- ISSN 2582-5429 / SJIF Impact- 5.67 / September2023 / Special Issue 09 / Vol. V

18

महिला सशक्तिकरण में संवैधानिक अधिनियमों की भूमिका: एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

डॉ. रेनू प्रकाश
प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष,समाजशास्त्र विभाग,उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखंड

शैलजा
असिस्टेंट प्रोफेसर (ए.सी.),समाजशास्त्र विभाग,उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखंड

सार संक्षेप

महिला सशक्तिकरण की अवधारणा मूल रूप से महिलाओं के समग्र सर्वांगीण विकास पर आधारित है, जिसमे मुख्य रूप से शिक्षा का अधिकार, समानता, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो अर्थात् संक्षिप्त शब्दो में यदि कहे तो महिलाओं के सर्वांगीण विकास कर उन्हें सुदृढ जीवन स्तर तक पहुचाना है, इस सम्बन्ध में सामाजिक तौर पर अनेक सामाजिक सुधारों के साथ-साथ संवैधानिक तौर पर बनाये गये अधिनियमों एवं योजनाओं का भी विशेष योगदान है। अतः प्रस्तुत लेख का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की प्रस्थिति को सशक्त बनाने के लिए स्वतंत्रता के पश्चात निर्मित संवैधानिक अधिनियमों की विस्तृत चर्चा एवं प्रभाव को शोध बिन्दु के आधार पर रेखांकित करना है।

बीजशब्द :महिला सशक्तिकरण, संवैधानिक अधिनियम, योजना, सशक्त।

प्रस्तावना

यह सर्वविदित है कि भारतीय संविधान में कानूनी रूप से प्रत्येक नागरिक को बेहतर जीवन यापन के लिए समान अधिकार प्रदान किये गये है। एक महिला के सन्दर्भ में यदि हम बात करें तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के परम्परागत दृष्टिकोण एवं जीवन स्तर में अनेक विचारणीय परिवर्तन दृष्टिगत होने लगे है। परम्परागत विचारधारा के स्थान पर अब नवीन वैचारिकी का जन्म हो रहा है, जो प्रत्येक महिला को सशक्त महिला के रूप में आगे बढ़ने को प्रेरित करता है।

महिलायें समाज का एक अभिन्न अंग होती है तथा उनके अस्तित्व के अभाव में एक समाज की कल्पना भी नही की जा सकती। स्वतन्त्रता के पश्चात देश के प्रथम प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू का मानना था कि ''भारत की महिलाओं पर मुझे गर्व है। उनके सौन्दर्य, आभा, आकर्षण, लज्जा, शालीनता, बुद्धिमत्ता एवं त्याग की भावना पर मुझे नाज है। मैं सोचता हूं कि यदि भारत की भावना का सही मायनों में कोई प्रतिनिधित्व कर सकता है तो वे भारत की महिलाए ही हो सकती हैं पुरूष नहीं''[1] दशकों से हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है किस शक्तिकरण का अभिप्राय क्या है और वास्तव में समाज में सशक्तिकरण की आवश्यक्ता क्यों पड़ी ?

महिलाओं की प्रस्थिति के सन्दर्भ में यदि हम अपना ध्यान आकर्षित करें तो वैदिक युग में महिलाओं का स्थान उच्च था पुरूषों के समान उन्हें समस्त अधिकार प्राप्त थेकेवल संतानोत्पत्तिके सन्दर्भ में महिला एवं पुरूषों के मध्य विभेद दृष्टिगत होता है और यहीं से सम्भवत: दोनों में कार्य विभाजन होता चला गया। महिला को सम्पूर्ण परिवार एव बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी सौंप दी गई। पुरूषों को घर से बाहर परिवार के पालन पोषण हेतु आर्थिक गतिविधियों की जिम्मेदारी सौंपी गई। ऐसा प्रतीत होता है यहीं से सामाजिक तौर पर असमानता की अवधारण ने जन्म लिया और एक महिला के अधिकारों को सीमित कर दिया गया। पितृसत्तात्मक व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ और सारे प्रमुख अधिकार धीरे-धीरे पुरूषों के हाथों में चले गये और महिलाओं के पिछड़ेपन एवं शोषण का एक अध्याय शुरू हो गया। सम्भवत: समाज की संगठित, व्यवस्था एवं समानता लाने के उद्देश्य से सशक्तिकरण की अवधारणा ने जन्म लिया।

सशक्तिकरण एक बहुआयामी अवधारणा है जो व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह को इस योग्य बनाने का प्रयास करता है कि वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र/ कार्यों में पूर्ण अस्मिता एवं शक्तियों को प्राप्त कर सके। यदि किसी भी समाज में स्त्री-पुरुष असमानता के बीज विद्यमान है तो यह उस समाज के समग्र विकास के लिए कैसे यथोचित है?''[2]

इसी प्रकार महिला सशक्तिकरण पर आमर्त्य सेन का मानना है कि ''महिला सशक्तिकरण से न केवल महिलाओं के जीवन में निश्चित रूप से सकारात्मक असर पड़ेगा बल्कि पुरुषों और बच्चों को भी इससे लाभ मिलेगा, इसलिए राष्ट्र का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास शासन की गुणवत्ता एवं महिलाओं की सक्षमता दोनों पर निर्भर करता है।[3]

समाज मे महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के सन्दर्भ मे कमला भसीन ने कुछ दृष्टिकोण व्यक्त किये है जो इस प्रकार है''

Akshara Multidisciplinary Research Journal
Single Blind Peer Reviewed & Refereed International Research Journal
E- ISSN 2582-5429 / SJIF Impact- 5.67 / September2023 / Special Issue 09 / Vol. V

1. महिला के ज्ञान एवं योगदान को पहचाना जाए।
2. असमानता एवं हीनता की भावना से लड़ने की क्षमता उत्पन्न की जाए।
3. महिलाओं में आत्मसम्मान एवं आत्म प्रतिष्ठा में वृद्धि की जाए।
4. महिलाओं में स्वयं की रक्षा करने की क्षमता बढ़ाईजाए।
5. महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाया जाए।
6. सम्पति एवं भूमि सम्बन्धी अधिकार प्रदान किये जाए।
7. कार्य का बोझ कम किया जाए।
8. महिला संगठनों का निर्माण किया जाए तथा उन्हें मजबूती प्रदान की जाए।
9. महिलाओं के पोषण स्तर को ऊंचा उठाया जाए।

इसी प्रकार महिला सशक्तीकरण के सन्दर्भ में प्रो.ए. आर. एन. श्रीवास्तव जी का मानना है कि"महिला सशक्तिकरण अध्ययन लगभग चार दशक पुराना है।इस अध्ययन की एक धारणा एवं मान्यता यह है कि विकासीय दौर के आरंभ से ही मानव समाज में पुरुषों का वर्चस्व रहा है।पुरुष–स्त्री के बीच प्राणीशास्त्रीय अथवा प्राकृतिक विभेदन की अपेक्षा सांस्कृतिक विभेदन का पक्ष प्रबल रहा है।दूसरे शब्दो में सांस्कृतिक विषमता प्राकृतिक यौन विभेदीकरण का प्रतिफल है।अति संक्षेप मे ''हम औरत है, हमारी चाह सीमित है ''[5]

अमेरिका की एक प्रसिद्ध शोध संस्था वर्ल्ड इकॉनामिक फोरम के अनुसार, 'महिला सशक्तिकरण की पहचान औरपरख आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक क्षेत्रों में उनकी भूमिका से की जा सकती है। '[6]

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण की अवधारणा मूल रूप से महिलाओं के समग्र सर्वांगीण विकास पर आधारित है,जिसमे मुख्य रूप से शिक्षा का अधिकार, समानता, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास होअर्थात् संक्षिप्त शब्दो में यदि कहे तो महिलाओं के सर्वांगीण विकास कर उन्हें सुदृढ जीवन स्तर तक पहुचाना है, इस सम्बन्ध में सामाजिक तौर पर अनेक सामाजिक सुधारों के साथ-साथ संवैधानिक तौर पर बनाये गये अधिनियमों एवं योजनाओं का भी विशेष योगदान है। अतः प्रस्तुत लेख का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की प्रस्थिति को सशक्त बनाने के लिए स्वतंत्रता के पश्चात निर्मित संवैधानिक अधिनियमों की विस्तृत चर्चा एवं प्रभाव को शोध बिन्दु के आधार पर रेखांकित करना है।

उद्देश्य

प्रस्तुत शोध आलेख का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए संवैधानिक अधिनियमों की विस्तृत चर्चा एवं अधिनियमों के प्रभाव को स्पष्ट करना है।

शोध अभिकल्प

प्रस्तुत लेख पूर्ण रूप से द्वैतीयक आकड़ो पर आधारित है, जिसके लिए मुख्य रूप से शोध पत्र, शोध आलेख, पत्र-पत्रिकायें, संदर्भित पुस्तक तथा इन्टरनेट का प्रयोग किया गया है।

महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिनियम एवं प्रावधान[7]

महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उन्हें समाज व विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अनेक संवैधानिक प्रावधानों या अधिनियमों का निर्माण किया गया है जिससे सम्बन्धित प्रमुख अनुच्छेदनिम्नवत् है।

1 विधि के समक्ष समता (अनुच्छेद 14)।
2 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंगया जन्म स्थान के आधार परकोई भेदभाव नहीं किया जा सकता (अनुच्छेद 15)।
3 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता (अनुच्छेद-16)।
4 मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध (अनुच्छेद-23)।
5 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्त्व (अनुच्छेद- 39)।
6 समान न्याय एवं विधिक सहायता (अनुच्छेद-39क)।
7 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध (अनुच्छेद-42)
8 धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग अथवा इनमें से किसी के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ निर्वाचन नामावली में भेदभाव नहीं किया जायेगा (अनुच्छेद-325)।

संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक अनुच्छेदों के अतिरिक्त समय- समय पर महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए अनेक संवैधानिकयोजनाओ का निर्माण किया गया है, प्रमुख योजनायें निम्नवत है।

Akshara Multidisciplinary Research Journal
Single Blind Peer Reviewed & Refereed International Research Journal
AMRJ
E- ISSN 2582-5429 / SJIF Impact- 5.67 / September2023 / Special Issue 09 / Vol. V

1 **राष्ट्रीय महिला आयोग** - महिला सशक्तिकरण एवं महिला उत्थान हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग, अधिनियम - 1990 के अन्तर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया।

2 **स्थानीय निकायों में आरक्षण** :1992में संसदद्वारा पारित 73 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत ग्रामीण तथा नगरीय स्थानीय निकायों मे महिलाओंको एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान है, जिससे महिलायें राजनीति के क्षेत्र में भी को स्वयं को सशक्ता से स्थापित कर सके।

3 **बालिका शिशु हेतु राष्ट्रीय योजना का क्रियान्वयन** - यह योजना कन्या शिशु को सुरक्षा और विकास को सुनिश्चित कर उनके बेहतर भविष्य के निर्माण के उद्देश्य हेतु कार्यरत है, बाल- राष्ट्रीय नीति को भारत सरकार द्वारा 26 अप्रैल 2013 को अपनाया गया।वही नवीनतम बाल- राष्ट्रीय योजना 2016 ड्राफ्ट प्रारूप में है।[8]

4 **महिलासशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय मिशन**-महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन, महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है इसमें अंतर क्षेत्रीय अभिसरण को मजबूत करनेऔर सभी मंत्रालयों और विभागों में महिला कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों के समन्वय की प्रक्रिया को सुविधाजनकबनाने के लिए जनादेश हैएन. एम. ई. डब्लू के अन्तर्गत महिलाओं के आर्थिकसशक्तिकरण हेतु कौशल प्रशिक्षण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, तकनीकी सहायता और बाजार सम्बन्धों को बढ़ावा देने का प्रावधान शामिल है।[9]

5 **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ** - 22 जनवरी 2015 को जारी किया गया सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसमें बाल लिंगानुपात में गिरावट और महिलाओं के पूरे जीवन-चक्र सातत्य मेंसशक्तिकरण से सम्बन्धित बिन्दुओं को संबोधित किया गयायह एक त्रि-मंत्रीस्तरीय प्रयास है।जिसमें महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय सम्मिलित है जिसका मुख्य लक्ष्य वकालत अभियान और जागरुकता द्वारा मानसिकता में परिवर्तन लाना है।[10]

संविधान द्वारा दिये गये प्रविधानों के अलावा महिलाओं को सुरक्षा के दृष्टिगत अनेक महत्वपूर्ण अधिनियम भी पारित किये गये है, जो निम्नवत है।

1 बागान श्रम आधिनियम (1951)
2 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (1952)
3 खान अधिनियम (1952)
4 प्रसूति सुविधा अधिनियम (1961)
5 दहेज निषेध अधिनियम (1961)
6 ठेका श्रम अधिनियम (1970)
7 समान पारिश्रमिक अधिनियम (1976)
8 अन्तराज्यीय प्रवासी कर्मकार आधनियम (1979)
9 वेश्यावृत्ति निवारण (संशोधन) अधिनियम (1986)
10 प्रसव पूर्ण निदान तकनीकी अधिनियम (1994)

सामाजिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित महत्वपूर्ण योजनायें

1 ड्वाकरा योजना (1982) -स्वास्थ्य, शिक्षा एवं स्वच्छता से सम्बन्धित योजना।
2 न्यू मॉडल चखी योजना (1987)आर्थिक सहायता एवं महिलाओं को प्रशिक्षण एवं अनुदान दिया जाता है।
3 महिला प्रशिक्षण योजना (1989)रोजगार परख प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इस योजना का निर्माण किया गया है।
4 महिला समाख्या योजना (1989) शिक्षा की समुचित व्यवस्था के लिए इस योजना का प्रारम्भ किया गया।
5 महिला स्वशक्ति योजना (1998) इसके अन्तर्गत महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से महिलाओं को स्वयं सहायता समूहो से जोड़ने का प्रयास किया गया।

उपरोक्त सभी अधिनियमों के अलावा''घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, पैतृक संपत्ति में अधिकार 2005, कन्या भ्रूण हत्या अधिनियम 2003, अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 2006, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम 2010, आपराधिक कानून विधेयक (संशोधित) 2013, आदि अधिनियमों को पारित करना न केवल महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराना है वरन् उन्हें सशक्त बनाना भी है।

सम्पूर्ण शोध पत्र के विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि आज 21 वी सदी में हम इस वास्तविकता को नकार नही सकते हैं कि महिलायें सशक्तिकरण की दिशा की ओर तीव्र गति से अग्रसर हो रही है। सशक्तिकरण के पैमाने की अगर हम बात करें तो आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा तथा राजनीति में सहभागिता को आधार माना जा सकता है।क्योंकि इन क्षेत्रों में एक महिला की सशक्त पकड़ ही उसे सशक्त महिला के रूप में स्थापित कर सकती है। आज यह कहना कोई अतिश्योक्ती नही होगा कि इनसभीं क्षेत्र में महिलाओंने अपनी एक दमदार उपस्थितिको भी दर्ज किया है।यही कारण है कि आज समाज का कोई भी ऐसा भाग नही है जो महिलाओं की पकड़ से अछूता है। पुरुष वर्चस्ववाले क्षेत्रों में भी महिलाओं ने अपनी पकड़ मजबूत की है।महिलाओं को सशक्त बनाने में संवैधानिक अधिनियमों का भी विशेष महत्व है। लेकिन यहाँ पर हम इस तथ्यसे भी इन्कार नही कर सकते हैं कितमाम सरकारी एवं संवैधानिक प्रयासों के परिणामस्वरूप भी महिला सशक्तिकरण या उनकी प्रस्थिति मे मनोवांछित सुधार अथवा अपेक्षित परिणाम दृष्टिगत नही हो रहे हैं। अत: सर्वप्रथम हमें परम्परागत मानसिकता में भी परिवर्तन लाना होगा। नीतियों का निर्माण एक सुखद पहल है परन्तु उनका क्रियान्वयन भी होना अपेक्षित सुखद परिणाम भी होगा।

यद्यपि सरकारी प्रयासों ने महिला सशक्तिकरण के मार्ग को प्रशस्त किया है तथा महिला समानताके साथ विकास एवं प्रगति की एक नयी राह को महिलाओं के लिए खोला हैजहाँ उनके निर्णय लेने की क्षमता को तो बल मिला है साथ ही स्वयं को जागरुक एवं सशक्त बनाने की क्षमता का भी विकास होगा,किन्तु हम सब का एक सामूहिक प्रयास महिलाओंको सशक्त होने की दिशा में मजबूती प्रदान करेगा तभी संवैधानिक अधिनियमों की सार्थकता सिद्ध होगी। जब सम्पूर्ण समाज महिला समानता को स्वीकार करेगा। तभी वास्तव में महिला सशक्तिकरण सम्भव है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *तिवारी, एस. पी., ''सशक्त महिला-सशक्त समाज'' उद्धृत: महिला सशक्तीकरण चुनौतियां एवं रणनीतियां पूवार्शा प्रकाशन, भोपाल, 2005, पे. न. 21*
2. *कुमार नरेन्द्र सिंधी (लेख) ''नारीवाद की सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि में महिला विमुक्ति एवं सशक्तिकरण के व्यापक एवं भारतीय सन्दर्भ में विशिष्ट आयाम''उद्धृत आशा कौशिक, महिला सशक्तिकरण विमर्श एवं यर्थाथ,जयपुर 2004 पृष्ठ संख्या 03*
3. *प्रतियोगिता दर्पण (सितम्बर २००२) पृ० संख्या-374*
4. *नारायण नाराणी प्रकाश, गौतम ज्योति, लिंग एवं समाज".-2012 रिसर्च पब्लिकेशन्स जयपुर, पे. न. 50-51.*
5. *श्रीवास्तव ए. आर. एन"महिला सशक्तीकरण: उजवल भविष्य, काले धब्बे (लेख) उद्धृत - राधा कमल मुकर्जी: चिन्तन परम्परा वर्ष - 19अंक- 01जनवरी-जून 2017समाज विज्ञान विकास संस्थान बरेली पे. न. 01*
6. *उपरोक्त पे. न. 01 – 02*
7. *नारायण नाराणी प्रकाश, गौतम ज्योति, लिंग एवं समाज".-2012 रिसर्च पब्लिकेशन्स जयपुर,पेज न. 52*
8. *लोहानी श्वेता, भारत में महिला सशक्तीकरण - संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के विशेष सन्दर्भ में(लेख) उद्धत - राधा कमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा, जनवरी-जून 2017 समाज विज्ञान विकास संस्थान बोली पठन०- 56*
9. *उपरोक्त 56-57*
10. *उपरोक्त पे न. 57*
11. *कुरूक्षेत्र, वर्ष 59 अंक 10 अगस्त 2013, महिला सशक्तीकरण का आत्मवलोकन पे न. 05*

VERY LOW COST FAST SERVICE

अक्षरा पब्लिकेशन

BOOKS PUBLICATION WITH ISBN NUMBER

5.67

CERTIFIED ISO 9001 CERTIFIED

Font

Hindi / Marathi
Kruti Dev -10 - Unicode Mangal
English- Times New Roman

FACULTY

Humanities , Inter-disciplinary Studies, Commerce and Management

SUBJECT

अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, उर्दू, अर्थशास्त्र, मानसशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राज्यशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र , ग्रंथालय, योगशास्त्र, लोकप्रशासन, क्रीडा, तत्त्वज्ञान, गृह विज्ञान, सार्वजनिक प्रशासन, जनसंख्या अध्ययन, संगीत, भारतीय संस्कृति, श्रम कल्याण / मानव संसाधन प्रबंधन, बौद्ध, जैन, गांधीवादी और शांति अध्ययन, पर्यटन प्रशासन और प्रबंधन आदि सभी विषय

AMRJ

- Single Blind Peer-Reviewed
- SJIF Impact - 5.675
- DOI Number
- Soft & Hard Copy with certificate

CONTACT US

9421682612

aimrj18@gmail.com

www.aimrj.com